

#### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2014/ ज्येष्ठ 2, 1936

No. 273]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2014/JYAISTHA 2, 1936

# पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

# आदेश

नई दिल्ली, 6 मई, 2014

सा.का.नि. 352(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) संशोधन आदेश, 2014 है ।
  - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
- 2. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के खंड 8 में, उप-खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात :—
  - "(1) खंड 7 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी यह जांच करने के लिए कि क्या उत्पाद का घनत्व और अन्य परिमितियां, भारतीय मानक ब्यूरों के विनिर्देश संख्यांक आई एस 2796 और आई एस 1460 क्रमशः मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल की अपेक्षाओं के अनुरुप हैं, यथास्थिति टैंक, नोजल, यान या साफ एल्युमिनियम पात्र आधानों में नमूने लेगा और यदि नमूने फुटकर निकास केंद्र से लिए जाते हैं तो खंड 3 के उप-खंड (3) की मद (ख) के अधीन यथाअपेक्षित उस व्यौहारी द्वारा प्रतिधारित अंतिम दो प्राप्तियों के सुसंगत टैंक-ट्रक नमूने को भी प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए संग्रहीत किया जाएगा।"

[फा. सं. पी.- 11013/2/2013-वितरण]

डा. नीरज मित्तल, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 729(अ), तारीख 19 दिसंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात् सा.का.नि.18(अ), तारीख 12 जनवरी, 2007 और संख्यांक सा.का.नि.1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2009 द्वारा संशोधित किए गए ।

2152 GI/2014 (1)

# MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

#### **ORDER**

New Delhi, the 6th May, 2014

- **G.S.R.** 352(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further amend to the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, namely:—
- 1. (1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Amendment Order, 2014.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, in clause 8, for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely:—
  - "(1) The authorized officer under clause 7 shall draw sample from the tank, nozzle, vehicle or receptacle, as the case may be, in clean aluminum containers, to check whether density and other parameters of the product conform to the Bureau of Indian Standards specifications number IS 2796 and IS 1460 for motor spirit and high speed diesel respectively and in case samples are drawn from retail outlet, the relevant tank truck samples of last two receipts retained by the dealer as required under item (b) of sub-clause (3) of clause 3 shall also be collected for laboratory analysis."

[F. No. P-11013/2/2013-Dist.]

Dr. NEERAJ MITTAL, Jt. Secy.

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 19th December, 2005 and subsequently amended *vide* number G.S.R.18(E), dated the 12th January, 2007 and number G.S.R.1(E), dated the 1st January, 2009.

### आदेश

नई दिल्ली, 6 मई, 2014

- सा.का.नि. 353(अ).- केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विलायक रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—
- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विलायक रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2014 है।
  - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
- 2. विलायक रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 की अनुसूची में मद (7) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—
- "(7) हेक्सेन (खाद्य श्रेणी और अन्य प्रकार)"

[फा. सं. पी.- 11013/2/2013-वितरण]

डा. नीरज मित्तल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 519(अ), तारीख 5 जून, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात् सा.का.नि. 576(अ), तारीख 30 जून, 2000, संख्यांक सा.का.नि. 578(अ), तारीख 30 जून, 2000, संख्यांक सा.का.नि. 856(अ), तारीख 21 नवंबर, 2001, संख्यांक सा.का.नि. 470(अ), तारीख 2 जुलाई, 2002, संख्यांक सा.का.नि. 404(अ), तारीख 4 जुलाई, 2006, संख्यांक सा.का.नि. 743(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2006, संख्यांक सा.का.नि. 689(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2007, संख्यांक सा.का.नि. 382(अ), तारीख 29 मई, 2009 और संख्यांक सा.का.नि. 835(अ), तारीख 19 नवंबर, 2009 द्वारा संशोधित किए गए।

# **ORDER**

New Delhi, the 6th May, 2014

- **G.S.R. 353(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Solvent, Raffinate, and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000, namely:—
- 1. (1) This Order may be called the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Amendment Order, 2014.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000, for item (7), the following item shall be substituted, namely:—
  - "(7) Hexane (Food grade and other variants)"

[F. No. P-11013/2/2013-Dist.]

Dr. NEERAJ MITTAL, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 519(E), dated the 5th June, 2000 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 576(E), dated the 30th June, 2000, number G.S.R. 856(E), dated the 21st November, 2001, number G.S.R. 470(E), dated the 2nd July, 2002, number G.S.R. 404(E), dated the 4th July, 2006, number G.S.R. 743(E), dated the 7th December, 2006, number G.S.R. 689(E), dated the 1st December, 2007, number G.S.R. 382(E), dated the 29th May, 2009 and number G.S.R. 835(E), dated the 19th November, 2009.